कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2025/ 1913 सागर, दिनांक 17-4-25

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर (म.प्र.)।

विषय :- जिला सागर अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। Online Proposal No. **FP/MP/IRRIG/30442/2017**

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/4252/कार्य/2024-25 दिनांक 19.12.2024

--"--

उपरोक्त विषय में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दक्षिण सागर, वनमण्डल के वन परिक्षेत्र ढाना में बरौदा जलाशय निर्माण से प्रभावित वन कक्ष क्रमांक-PF-810 & PF-814 रकवा 21.06 हेक्टेयर वन भूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR 005/2022-BHO दिनांक 09.12.2022 द्वारा सशर्त सैंद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि निम्नानुसार हस्तांतरित करायी गई थी :-

तालिका क्रमांक-01

क्र.	न्यायालय कलेक्टर सागर का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकवा (हे.में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की राशि	आपके विभाग द्वारा जमा की गई राशि
1	रा.प्र. क्रमांक-21 अ/19(3) वर्ष 17-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018	फुलवारी (उत्तर वनमण्डल सागर के अंतर्गत)	01	10.08	07-07-2018	4925464	17989946 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु
2	रा.प्र. क्रमांक-28 अ/19(3) वर्ष 17-18 पारित आदेश दिनांक 28.09.2018	हरद्वानी (उत्तर वनमण्डल सागर के अंतर्गत)	105, 107/1, 107/2, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354	10.98	22-11-2021	13064482	
			Total	**21.06**		**17989946**	

उपरोक्त तालिका के बिन्दु क्रमांक-01 के अनुसार हस्तांतरित गैर वनभूमि वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ़ के द्वारा ग्राम-फुलवारी तहसील शाहगढ़ में खसरा नम्बर-01 रकवा 10.08 हेक्टेयर में अतिक्रमण होने की स्थिति में मौका कब्जा नहीं लेने के कारण एवं बिन्दु क्रमांक-02 में मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर के पत्र क्रमांक/832 दिनांक 13.02.2025 से 10 वर्षीय वृक्षारोपण के स्थान पर 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार करने हेतु वनमण्डल अधिकारी उत्तर सागर को लेख किया गया।

m

उपरोक्त के परिपालन में आपके द्वारा तालिका के बिन्दु क्रमांक-01 के अनुसार पूर्व में हस्तांतरित गैर वनभूमि अतिक्रमित होने से न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0002/अ-20(3) वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 29.11.2024 मौजा-सरखेड़ा, तहसील देवरी, पटवारी हल्का नम्बर-07, खसरा नम्बर-326 कुल रकवा 75.51 हेक्टेयर में से 15.00 हेक्टेयर आवंटित कराई गई है एवं तालिका के बिन्दु क्रमांक-02 में पूर्व में तैयार की गई 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के एवज में उत्तर वनमण्डल सागर के द्वारा 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में तालिका क्रमांक-01 के अनुसार प्राप्त गैर वनभूमि, तकनीकी स्वीकृति एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का संशोधित विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक-02

क्र.	न्यायालय कलेक्टर सागर का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकवा (हे.में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	राजस्व प्रकरण क्रमांक-0002/अ-20(3) वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 29.11.2024	सरखेड़ा	326	10.08	12-03-2025	11622751
2	रा.प्र. क्रमांक-28 अ/19(3) वर्ष 17-18 पारित आदेश दिनांक 28.09.2018	हरद्वानी (उत्तर वनमण्डल सागर के अंतर्गत)	105, 107/1, 107/2, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354	10.98	09-04-2025	8735306
			Total	**21.06**		**20358057**

अतः उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि 21.06 हेक्टेयर के एजव में प्राप्त गैर वनभूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 20358057 होती है। पूर्व में तालिका क्रमांक-01 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि-17989946 आपके द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गई है। अतः अंतर की राशि रु. (20358057-17989946) Rs. 2368111 राशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ई-पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के कैम्पा मद में शीघ्र जमा करें, एवं प्रमाणीकरण हेतु बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अन्य समस्त अधिरोपित शर्तो का टेबुलर फार्म में पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुए एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा उपरोक्त स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अतिरिक्त भविष्य में कोई अन्य शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह मान्य होगी। इस आशय का वचन-पत्र इस कार्यालय को प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2025/ 1914 सागर, दिनांक 17-4-25

प्रतिलिपि :-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसीनगर मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3- वनमण्डल अधिकारी, उत्तर सागर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर/देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5- वन परिक्षेत्र अधिकारी, ढाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। बिना अनुमति के वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न करने दिया जावें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल